2017 का विधेयक संख्यांक 159

[दि पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ला (एक्सटेंशन टु चंडीगढ़) एमेंडमेंट बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994

का और संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1994 का अधिनियम सं0 45 का संशोधन ।

2. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची के भाग-2 की धारा 90 में,--

(अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(छ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर ।" ';

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(ख) उपधारा (6) में,--

(i) "पंजाब मोटर व्हीकल्स टैक्सैशन ऐक्ट, 1924" शब्दों के पूर्व "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा लागू" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) और खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ।'

निरसन और व्यावृति ।

3. (1) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 को निरसित किया जाता है । 2017 का अध्यादेश सं0 2

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई को, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा । 1994 का 45

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016, माल और सेवाओं की पूर्ति पर माल और सेवा कर के उदग्रहण हेतु विधि बनाने के लिए संसद् और राज्य विधान-मंडलों, दोनों को क साथ शक्तियां प्रादन करता है । उक्त अधिनियम ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 62 में भी संशोधन किए हैं ।

2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17 के द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 62 को प्रतिस्थापित किया गया है, जो अब निम्नानुसार है, "मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर, जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किया जाए ।"

3. केन्द्रीय सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को क्रियान्वित किया है । इसके परिणामस्वरूप, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद के संबंध में चंड़ीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में करों के उदग्रहण की केन्द्रीय सरकार की शक्ति को नगर निगम, चंड़ीगढ़ को अंतरित करने के लिए पंजाब नगर विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 द्वारा पंजाब नगर विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 की धारा 90 को संशोधित किया गया था ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थीं और एक अत्यावश्यक विधान बनाया जाना अपेक्षित था, अतः राष्ट्रपति ने 1 जुलाई, 2017 को पंजाब नगर विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं0 2) को प्रख्यापित किया था ।

5. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **अरुण जेटली**
25 जुलाई, 2017

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर करों का उदग्रहम करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति को हटाने और नगर निगम चंडीगढ़ को उक्त कर का उदग्रहण करने हेतु सशक्त करने का उपबंध करता है । इस विधेयक से भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा ।

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक में उपांतरणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन

विधेयक के खंड 2 को उपांतरित करने का प्रस्ताव है, ताकि उसे पंजाब नगर विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के साथ समरूप बनाया जा सके और उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 2 में धारा 90 को निम्नानुसार उपांतरित किया जा सके :--

(क) प्रारंभिक पैरा में "अनुसूची के भाग 2 में" शब्द और अंक अंतःस्थापित करने ;

(ख) उपखंड (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने :--

'(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(छ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर ।" ';

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ख) उपधारा (6) में,--

(i) "पंजाब मोटर व्हीकल्स टैक्सैशन ऐक्ट, 1924" शब्दों के पूर्व "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा लागू" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।'।

2. उक्त उपांतरण प्रारूपण और पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

उपाबंध

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 45)

* * * * * *

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1976, (1976 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 42)

भाग 1

* * * * * *

भाग 2

* * * * * *

धारा 90 की,–

(क) उपधारा (1) में खंड (ख) और खंड (ग) का लोप करें ;

(ख) उपधारा (6) में, "पंजाब मोटर व्हीकल्स टैक्सैशन ऐक्ट, 1924, पंजाब एन्टरटैन्मेंट ड्यूटी ऐक्ट, 1955 और पंजाब ऐन्टरटैन्मेंट टैक्स (सिनेमाटोग्राफी शो) ऐक्ट, 1954" के पश्चात् "जैसे कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को लागू हैं" शब्द जोड़ें ।

* * * * * *

GMGIPMRND—1474LS(CRC)—26-7-2017.